समक्ष जसजीत सिंह बेदी जे.

सौरव अरोड़ा @ सौरव अरोड़ा-----------याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और अन्य-------- प्रतिवादी

2016 का सीआरएम**-**एम संख्या **37487**

26 अप्रैल 2022

भारतीय दंड संहिता**, 1860---** धारा **379** और **411---**एक ही अपराध पर दो प्रथम सूचना रिपोर्ट **-** पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा **379** के तहत पंचकुला में दर्ज की गई जहां चोरी हुई थी **-** आरोपी को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया था**,** हालांकि अपील में बरी कर दिया गया **-** दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट **12** दिन बाद दर्ज की गई बाद में चंडीगढ़ में धारा **379** और **411** के तहत**,** जिसमें चोरी की गई संपत्ति बरामद की गई थी**,** दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना कानून में अस्वीकार्य है क्योंकि घटना/घटना एक ही है और एक ही लेनदेन का हिस्सा है **---** दो प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक अपवाद पर कायम रह सकती हैं**,** अर्थात**,** यदि एक ही घटना के संबंध में दो प्रतिद्वंद्वी संस्करण हैं **-** याचिका की अनुमति **-** दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द कर दी गई।

माना गया कि इस बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 में धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट 17.05 2016 को धारा 379/411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कर दी गई। याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों को 23.05.2017 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पंचकुला की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 411/34 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था, दोषसिद्धि के उक्त फैसले के खिलाफ, आरोपी ने एक अपील दायर की और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक 29.08 2017 के फैसले के तहत, याचिकाकर्ताओं को धारा 411 के साथ धारा 34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

(4 पैरा)

आगे कहा कि, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (पी-2) का पंजीकरण अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसमें याचिकाकर्ता अब बरी हो चुका है पहले से ही समान धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि एक ही घटना के संबंध में दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, जो कानून में स्वीकार्य नहीं था। जिस स्कूटर के बारे में आरोप लगाया गया था कि वह पंचकुला से चोरी हो गया था, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दिनांक 06.12.2015 को पुलिस थाना सेक्टर 19 पंचकुला में दर्ज किया गया था, चंडीगढ़ के क्षेत्र में बरामद किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस थाना मनीमाजरा में एक अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।. इस प्रकार,

उन्होंने दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ने पर विरोध किया | भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन था क्योंकि एक ही घटना के लिए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विचार नहीं किया जाता है।

(5 पैरा)

इसके अलावा यह माना गया कि, उपरोक्त सिद्धांत के अपवादों में से एक यह है कि जहां एक ही प्रकरण के संबंध में दो प्रतिद्वंद्वी संस्करण हैं, उस स्थिति में वे आम तौर पर दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप ले लेंगे और जांच उन दोनों के तहत की जा सकती है। वही जांच संस्था. इसलिए, पुलिस थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 दिनांक 18 12 2015 (अनुलग्नक पी -2) और ताजा आरोप पत्र दाखिल करना कानून में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, पुलिस थाना सेक्टर 19 पंचखुला में धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत पहले से ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दर्ज थी। धारा 379/411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत चालान पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 411/34 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई और अंतत:, आरोपी को धारा 411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए भी बरी कर दिया गया। इन तथ्यों से पता चलेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 में अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट) में अपराधों के समान हैं और घटना/घटना एक ही है या एक ही लेनदेन का हिस्सा है।

(11 पैरा)

याचिकाकर्ता के वकील विवेक गोयल।

अमित कुमार गोयल, अतिरिक्त लोक अभियोजक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़.

जसजीत सिंह बेदी**, जे.**

(1) वर्तमान याचिका में प्रार्थना पुलिस थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (अनुलग्नक पी-2) दिनांक 18.12.2015 को रद्द करने और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दीपक सिंह रावत की पत्नी पूजा रावत/नेगी ने पुलिस थाना सेक्टर 19 में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दिनांक 06.12.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दर्ज कराई। पंचखुला (अनुलग्नक पी-1), आरोप है कि उसने अपनी एक्टिवा संख्या एच आर 03 एफ- 4746 को अपने घर के भूतल पर खड़ा किया था और जब दिनांक 22.11.2015 को सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका एक्टिवा स्कूटर गायब था |जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

(3) इस बीच, 18.12.2015 को, पुलिस थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़ की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो लड़के सौरव अरोड़ा (वर्तमान याचिकाकर्ता) और विजय एक चोरी की एक्टिवा बेचने की फिराक में घूम रहे हैं और अगर नाकेबंदी की जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी के चौक के पास नाका लगाया गया। और एक एक्टिवा स्कूटर की जांच के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्त को उक्त एक्टिवा स्कूटर संख्या एचआर 03 एफ -4746 पर सवार होते हुए पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 दिनांक 18.12.2015 दर्ज की गई। पुलिस थाना मनीमाजरा में धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया (अनुलग्नक पी-2)

(4) इस बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 में धारा 379/411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट 17.05.2016 को प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों को 23.05.2017 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पंचकुला की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 411/34 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि के उक्त फैसले के खिलाफ, आरोपी ने अपील दायर की और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक 29.08.2017 के फैसले के तहत, याचिकाकर्ताओं को धारा 411 के साथ धारा 34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (पी-2) का पंजीकरण न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसमें अब याचिकाकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया है समान धाराओं के तहत दर्ज किया गया। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि एक ही घटना के संबंध में दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, जो कानून में स्वीकार्य नहीं था। जिस स्कूटर को पंचकुला से चोरी होने का आरोप लगाया गया था, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दिनांक 06.12.2015 को पुलिस थाना सेक्टर 19, पंचकुला में दर्ज किया गया था, चंडीगढ़ के क्षेत्र में बरामद किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस थाना मनीमाजरा में एक अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन है क्योंकि एक ही घटना के लिए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आपराधिक प्रक्रिया के तहत विचार नहीं किया जाता है।

(6) सहायक पुलिस आयुकत यातायात पंचकुला द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 29.07.2016 को एक उत्तर प्रस्तुत किया गया था, और उत्तर दिनांक 10.03.2017 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया था । तर्कों का प्राथमिक जोर दकर उत्तरदाताओं का कहना है कि जबकि पंचकुला में स्कूटर चोरी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दर्ज थी, चोरी किए गए वाहन को बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 दर्ज की गई | दोनों अलग-अलग अपराध पर अधारित थी |, एक संपत्ति चुराने के लिए और दूसरा जानबूझकर उसे

अपने पास रखने के लिए। इस प्रकार, यह कहा गया कि अपराधों की सामग्री अलग-अलग थी और कार्रवाई का कारण दो अलग-अलग स्थानों पर हुआ था और इस प्रकार दोनों मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में की जानी थी।

(7) विद्वान राज्य के वकील ने अपने-अपने उत्तरों की सामग्री को दोहराते हुए तर्क दिया कि विचाराधीन अपराध और उनकी सामग्री अलग-अलग थीं और इसलिए, दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाए रखने योग्य थीं।

(8) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

(9) मामले में आगे बढ़ने से पहले, इस संबंध में संबंधित केस कानून की जांच करना उचित होगा।

अंजू चौधरी बनाम यूपी राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और एक अन्य को निम्नानुसार रखा गया है :-

> "2. सार्वजनिक महत्व का एक प्रमुख प्रश्न और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) की सहायता से प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने के संबंध में अक्सर उठने की संभावना है। संक्षेप में, संहिता) या अन्यथा स्वतंत्र रूप से संहिता की धारा 154 के दायरे में यह है कि क्या एक ही घटना या एक ही घटना से उत्पन्न होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंध में एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट हो सकती हैं।
>
> ***　　　***　　　***
>
> **15.** संहिता की धारा 154, 156 और 190 की भाषा और योजना के आधार पर, यह अनुमान या सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि किसी घटना के बारे में एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट हो सकती हैं। हालाँकि, धारा 154 के शुरुआती शब्दों से पता चलता है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी को पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लिखा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी घटना के बारे में पहली सूचना रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि बनती है। एक संज्ञेय अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का उद्देश्य आपराधिक जांच की मशीनरी को चालू करना है, जो संहिता की धारा 173 (2) के संदर्भ में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के साथ समाप्त होती है, इस प्रकार, तय किए गए का पालन करना उचित होगा |

2013(1) आरसीआर (सीआरएल) 686

सिद्धांत यह है कि एक ही अपराध के लिए दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकतीं। हालाँकि, जहाँ घटना अलग है, अपराध समान या भिन्न हैं, या यहाँ तक कि जहाँ बाद का अपराध इतना बड़ा है कि वह पहले दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के दायरे और दायरे में नहीं आता है, तो दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू संहिता की धारा 154 की भाषा में विधायिका द्वारा प्रदान किए गए अंतर्निहित सुरक्षा उपायों की जांच करना है। इन सुरक्षा उपायों को दोहरे खतरे, निष्पक्ष जांच के नियम और इसके अलावा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने जैसे सिद्धांत से सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। पुलिस का जांच प्राधिकारी. इसलिए एक ही घटना की दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती. बेशक, जांच संस्था के पास कोई निर्णायक अधिकार नहीं है। यह केवल संहिता के प्रावधानों के अनुसार जांच करने का अधिकार है। किसी अपराध को रद्द करने या आरोप लगाने के लिए जांच पूरी होने पर रिपोर्ट दाखिल करना एक ऐसा मामला है जिसे एक बार सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर करने के बाद पुलिस के मामले में एक प्रकार की अंतिम स्थिति प्राप्त हो जाती है, यह किसी दिए गए मामले में हो सकता है। आगे की जांच के अधिकार के अधीन, लेकिन जहां भी जांच पूरी हो चुकी है और कोई व्यक्ति प्रथम दृष्ट्या अपराध करने या अन्यथा दोषी पाया जाता है, तो जांच संस्था द्वारा अपने आप से दोबारा जांच की अनुमति केवल एक और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नहीं दी जानी चाहिए। उसी अपराध के लिए. यदि किसी संदिग्ध को ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो पुलिस द्वारा जांच शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस इरादे को ध्यान में रखते हुए कि संहिता की धारा 154 की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि यह न केवल कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी, बल्कि न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच को भी आगे बढ़ाएगी, इससे भी अधिक, स्थापित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में। आपराधिक न्यायशास्त्र, पुनः जांच या नए सिरे से जांच न केवल जांच संस्था बल्कि विद्वान दंडाधिकारी की क्षमता से भी परे है। अदालतों ने यह विचार मुख्य रूप से इस कारण से लिया है कि यह संहिता की योजना और विशेष रूप से संहिता की धारा 167(2) के विरोध में होगा। **[**संदर्भ। रीता नाग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, (2009(5)** हालिया सर्वोच्च निर्णय **(**आरए**.**जे**) 297: (2009)9** एससीसी **129]** और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली @ दीपक और अन्य**, 2012(7)** आरसीआर

(क्रिमिनल**) 1992: (**एसएलपी **(**सीआर**)** संख्या **9185-9186, 2009,** उसी तारीख को**)**।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

16. प्रत्येक मामले की गुणवत्ता के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या बाद में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी घटना या अपराध के बारे में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट है या अलग और अलग तथ्यों पर आधारित है और क्या इसकी जांच का दायरा पूरी तरह से अलग है या नहीं। न्यायालय के लिए सभी मामलों पर समान रूप से लागू होने वाला एक स्ट्रेट जैकेट सूत्र निर्धारित करना उचित नहीं होगा। किसी दिए गए मामले की योग्यता के आधार पर यह हमेशा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न होगा। राम लाल नारंग बनाम राज्य **(**दिल्ली प्रशासन**), [(1979)2** एससीसी **322]** के मामले में, न्यायालय एक ही तथ्य के संबंध में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से चिंतित था, लेकिन विभिन्न अपराधों का गठन करता था और कहां दायरा और दायरा था जांच का तरीका बिल्कुल अलग था. सबसे पहले, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यहां तक कि दायर आरोप पत्र भी मुख्य रूप से दो आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी और हेराफेरी की साजिश से संबंधित था। उस स्तर पर, जांच संस्था को स्तंभों (केस संपत्ति) को बाहर भेजने की किसी भी साजिश के बारे में पता नहीं था। देश। यह भी ज्ञात नहीं था कि कुछ अन्य आरोपी व्यक्ति अदालत से स्तंभों पर कब्ज़ा प्राप्त करने की साजिश में भागीदार थे, जो बाद में लंदन में सामने आया। इससे पहले, यह केवल पुलिस को पता था कि खंभे भारतीय दंड संहिता की धारा 410 के तहत संपत्ति के रूप में चुराए गए थे और लंदन में आरोपी व्यक्ति (नारंग बंधुओं) के कब्जे में थे। न्यायालय ने उस मामले में याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त करने से राहत देने से इनकार कर दिया, जहां यह तर्क उठाया गया था कि बाद में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पूरी जांच अवैध थी क्योंकि उन्हीं तथ्यों पर मामला पहले से ही अंबाला की अदालतों में लंबित था और दिल्ली की अदालतें बिना कार्रवाई के काम कर रही थीं। क्षेत्राधिकार। पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से नए तथ्य सामने आए और जांच का दायरा बढ़ गया। दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट की तुलना से पता चला है कि साजिशें अलग-अलग थीं. वे एक जैसे नहीं थे और विषय-वस्तु भिन्न थी। अदालत ने कहा कि संज्ञेय अपराध से संबंधित हर जानकारी दर्ज करना पुलिस का वैधानिक कर्तव्य है और दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट इस सिद्धांत से प्रभावित नहीं होती कि उसी अपराध की दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनुचित है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"20. आपराधिक अदालतों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से परिचित कोई भी व्यक्ति आगे की जांच करने और पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति रखने वाली पुलिस की व्यावहारिक आवश्यकता से अवगत होगा। यह अभियोजन और दोनों के हित में है बचाव पक्ष में कहा गया कि पुलिस के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए। ऐसे मामले की कल्पना करना आसान है जहां ताजा सामग्री सामने आ सकती है जो पहले से आरोपित नहीं किए गए लोगों को फंसा देगी या पहले से ही आरोपित लोगों को दोषमुक्त कर देगी। जब जांच संस्था के ध्यान में यह बात आती है कि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अपराध के आरोपी के पास अच्छा बहाना है, क्या उस संस्था का यह कर्तव्य नहीं है कि वह बहाना की दलील की वास्तविकता की जांच करे और दंडाधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपे? आखिरकार, जांच संस्था के पास निजी की तुलना में अधिक संसाधन हैं व्यक्ति। इसी तरह, जहां ऐसे व्यक्तियों की संलिप्तता जांच संस्था के संज्ञान में आती है जो पहले से ही आरोपी नहीं हैं, जांच संस्था चुप नहीं रह सकती है और ताजा जानकारी की जांच करने से इनकार नहीं कर सकती है। जांच करना और दंडाधिकारी को रिपोर्ट सौंपना उनका कर्तव्य है। अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता. किसी भी मामले में, यह दंडाधिकारी पर निर्भर करता है कि वह अपने भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय उस चरण पर निर्भर करेगा जिस पर मामला उसके सामने है। यदि उसने पहले ही अपराध का संज्ञान ले लिया है, लेकिन जांच या सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ा है, तो वह नए शामिल पाए गए व्यक्तियों को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दे सकता है और एक ही जांच या सुनवाई में सभी आरोपियों से निपट सकता है। यदि जिस मामले का उसने पहले संज्ञान लिया है, वह पहले ही कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है, तो वह नए शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रकट किए गए अपराध का नए सिरे से संज्ञान ले सकता है और मामले को एक अलग मामले के रूप में आगे बढ़ा सकता है। एक दंडाधिकारी को इसके अनुसार क्या कार्रवाई करनी है ऐसी स्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को दंडाधिकारी के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। यह आलोचना कि पुलिस द्वारा आगे की जांच अदालत के समक्ष कार्यवाही पर असर डालेगी, वास्तव में बहुत अधिक सार्थक नहीं है, क्योंकि पुलिस जो भी कर सकती है, आगे की कार्रवाई के संबंध में अंतिम विवेक दंडाधिकारी के पास है। दंडाधिकारी के पास अंतिम बात आगे की जांच करने के लिए पुलिस की शक्ति के किसी भी अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है। हालाँकि, हमें यह कहने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए कि पुलिस को किसी कार्यवाही की लंबितता को नजर अंदाज

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

करना चाहिए | किसी अदालत के समक्ष और सामने आने वाले हर नए तथ्य की जांच इस तरह से करें जैसे कि अदालत ने किसी अपराध का कोई संज्ञान ही न लिया हो। हम सोचते हैं कि दंडाधिकारी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हित में, आपराधिक न्याय के प्रशासन की शुद्धता के हित में और ऐसे प्रशासन के विभिन्न चरणों को सौंपी गई विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों के समुदाय के हित में, यह आमतौर पर यह वांछनीय होगा कि पुलिस को अदालत को सूचित करना चाहिए और नए तथ्य सामने आने पर आगे की जांच करने के लिए औपचारिक अनुमति मांगनी चाहिए।

21. जैसा कि हमने पहले देखा था, दंड प्रक्रिया संहिता , 1898 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, दंडाधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद आगे की जांच करने के पुलिस के अधिकार को रोकता हो, न तो धारा 173 और न ही धारा 190 हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि दंडाधिकारी द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पुलिस की आगे की जांच करने की शक्ति समाप्त हो गई थी। अभ्यास, सुविधा और अधिकार की प्रबलता ने नए तथ्यों की खोज पर बार-बार जांच की अनुमति दी। हमारे विचार में, इस बात के बावजूद कि 1898 संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर एक दंडाधिकारी ने अपराध का संज्ञान लिया था, आगे की जांच करने का पुलिस का अधिकार समाप्त नहीं हुआ था और पुलिस जब भी आवश्यक हो तब इस अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। ताजा जानकारी सामने आई. जहां पुलिस आगे की जांच करना चाहती है, पुलिस आगे की जांच करने के लिए औपचारिक अनुमति मांगकर अदालत के प्रति अपना सम्मान और सम्मान व्यक्त कर सकती है।

22. जैसा कि वर्तमान मामले में है, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब पहली जांच से स्वतंत्र रूप से शुरू की गई दूसरी जांच पहली जांच में शामिल अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला का खुलासा कर सकती है। जहां दूसरी जांच की रिपोर्ट पहले मामले का संज्ञान ले चुके दंडाधिकारी के अलावा किसी अन्य दंडाधिकारी को सौंपी जाती है, तो यह अभियोजन संस्था या संबंधित आरोपी पर निर्भर है कि वह उचित वरिष्ठ न्यायालय में जाकर आवश्यक कार्रवाई करे। दो मामलों की एक साथ सुनवाई हुई. दंडाधिकारी स्वयं स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, कोई समस्या नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पिछला मामला वापस ले लिया गया है

संस्था ने हमें बताया कि दिल्ली की अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना और अंबाला अदालत में मामले को वापस लेना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हमें नहीं लगता कि अभियोजन पक्ष ने किसी परोक्ष मकसद से काम किया। दिल्ली की अदालत में दायर आरोप-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मेहरा अंबाला अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे थे और इसलिए उन्हें मुकदमे के लिए नहीं भेजा जा रहा था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत अंबाला कोर्ट में दिए गए आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मेहरा और अन्य के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में मामला दायर किया गया था और इसलिए, अंबाला कोर्ट में मेहरा पर मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं था। कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत दे दी. हालांकि जांच संस्था बेहतर करती अगर उसने अंबाला दंडाधिकारी को सूचित किया होता और दूसरी जांच के लिए उनकी औपचारिक अनुमति मांगी होती, हम संतुष्ट हैं कि जांच संस्था ने किसी दुर्भावना से काम नहीं किया। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि कोई अवैधता नहीं हुई है, इसलिए दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।"

*** *** ***

18. टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य **[(2001) 6** एससीसी **181]** के मामले में, न्यायालय ने बताया कि संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के तहत दी गई जानकारी को आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट). हालाँकि इस शब्द का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक ही अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली घटना के लिए दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की अनुमति नहीं है। इस मामले में, न्यायालय ने राम लाल नारंग (सुप्रा) और एम. कृष्णा (सुप्रा) के फैसलों पर कुछ विस्तार से चर्चा की, और बाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करते हुए निम्नानुसार कहा:

"23. किसी संज्ञेय अपराध की जांच करने का पुलिस का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत के पास कोई पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार नहीं है। सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद में प्रिवी परिषद ने जांच की शक्ति का वर्णन किया है पुलिस, इस प्रकार

"भारत में, जैसा कि दिखाया गया है, किसी कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की जांच करने के लिए पुलिस को बिना किसी अधिकार की आवश्यकता के वैधानिक अधिकार है।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

न्यायिक अधिकारियों से, और यह, जैसा कि उनके आधिपत्य का मानना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा यदि अदालत के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग से उन वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना संभव माना जाए।"

24. हालाँकि, संज्ञेय अपराध की जाँच करने की पुलिस की यह पूर्ण शक्ति असीमित नहीं है। यह कुछ सुप्रसिद्ध सीमाओं के अधीन है। उनमें से एक है, प्रिवी परिषद द्वारा इस प्रकार बताया गया,:

"[1] यदि किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, और इससे भी अधिक यदि किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो पुलिस के पास जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

25. जहां पुलिस जांच की अपनी वैधानिक शक्ति का उल्लंघन करती है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उचित मामले में अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए जांच पर रोक लगा सकता है। न्याय का अंत.

XXX XXX XXX

35. उपरोक्त कारणों से, कुथुपरम्बा पुलिस थाना के अपराध संख्या 268/1997 के रूप में पुलिस महानिदेशक के पत्र के आधार पर धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण वैध नहीं है और परिणामस्वरूप उसके अनुसार की गई जांच इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं है, इसलिए उन्हें तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यह जांच संस्था को 1994 के अपराध संख्या 353 और 354 में आगे की जांच करने और सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति लेने से नहीं रोकता है। उक्त मामले. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम चुनौती के तहत उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह ए एस पी (आर.ए. चंद्रशेखर) के खिलाफ कुथुपरम्बा पुलिस थाना के 1997 के अपराध संख्या 268 को रद्द करने से संबंधित है; अन्य सभी पहलुओं में उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिया जाएगा।"

19. टी.टी. एंटनी (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश [(2004) 13 एससीसी 292] के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा और अधिक समझाया और स्पष्ट किया गया, जिसमें न्यायालय निम्नानुसार बताया गया है:

"17. उपरोक्त उद्धरण में उल्लिखित शब्दों से यह स्पष्ट है कि टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय ने पर्तीकारक मुकदमा की प्रकृति में शिकायत के पंजीकरण को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा है। संहिता। हमारी राय में, उस मामले में इस न्यायालय ने केवल यह माना था कि मामला दर्ज होने के बाद उसी शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ कोई भी आगे की शिकायत, संहिता के तहत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में जांच पहले ही हो चुकी होगी। शुरू कर दी गई है और उसी आरोपी के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार होगी, इसलिए संहिता की धारा 162 के तहत निषिद्ध होगी। इस न्यायालय द्वारा देखा गया यह निषेध, हमारी राय में, प्रतिवाद पर लागू नहीं होता है- पहली शिकायत में आरोपी द्वारा शिकायत या उसकी ओर से उक्त घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाना।

18. कारी चौधरी बनाम सीता देवी में इस न्यायालय ने कानून के इस पहलू पर चर्चा करते हुए कहा:

"11. विद्वान वकील ने एक वैकल्पिक तर्क अपनाया कि एक बार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अंतिम रिपोर्ट में समाप्त हो गई तो पुलिस के पास दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 208 के रूप में क्रमांकित करने का कोई अधिकार नहीं था। बेशक कानूनी स्थिति यह है कि एक ही मामले के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण होते हैं, तो वे आम तौर पर दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप ले लेते हैं और दोनों के तहत जांच की जा सकती है। वही जांच संस्था। इसके अलावा, 1998 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 208 के रूप में अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट को जांच के दौरान पुलिस द्वारा की गई नई खोज के संबंध में अदालत को सौंपी गई एक जानकारी के रूप में माना जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। संख्या 135 असली दोषी हैं। उक्त कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द करना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी, कम से कम तकनीकी है। हर जांच का अंतिम उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कथित अपराध किए गए हैं और यदि हां, तो इसे किसने किया है।" (जोर दिया गया)।

XXX XXX XXX

23.जैसा कि यह हो सकता है, यदि कानून इसके द्वारा निर्धारित किया गया हो कि टीटी. एंटनी

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

के मामले को न्यायालय को इस रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि उसी घटना के संबंध में प्रति शिकायत के रूप में दर्ज की गई दूसरी शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, हमारी राय में, इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम होंगे। यह नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा यानी यदि वास्तविक आरोपी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह झूठी शिकायत दर्ज करने का पहला अवसर लेता है और उसे क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है तो ऐसे अपराध का पीड़ित , पीड़ित होगा। उसे घटना के बारे में अपना पक्ष बताते हुए शिकायत दर्ज करने से रोक दिया जाएगा, परिणामस्वरूप वह वास्तविक आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएगा। यह संहिता का अभिप्राय नहीं हो सकता।

24. हम पहले ही देख चुके हैं कि टीटी एंटनी मामले में इस न्यायालय ने किसी पीड़ित व्यक्ति के प्रतिदावा दायर करने के कानूनी अधिकार पर विचार नहीं किया, इसके विपरीत उक्त निर्णय में पाई गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रति शिकायत दर्ज करने की अनुमति है।

25. वर्तमान मामले में, यह 20-5-1995 को हुई घटना के संबंध में देखा गया है, अपीलकर्ता और पहले प्रतिवादी ने अलग-अलग संस्करण देते हुए अलग-अलग शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन जबकि प्रतिवादी की शिकायत दर्ज की गई थी संबंधित पुलिस में, अपीलकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए उसकी प्रार्थना पर विद्वान दंडाधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस को मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने और वापस रिपोर्ट करने का निर्देश देना उचित था। हमारी राय में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि यह संहिता की धारा 161 या 162 से प्रभावित है, जिसका, हमारी सुविचारित राय में, शामिल प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संहिता की धारा 161 या 162 किसी मामले के पंजीकरण का उल्लेख नहीं करती है, यह केवल जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए जाने वाले बयान और उसके साक्षय मूल्य की बात करती है।"

*** *** ***

23. प्रथम सूचना रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके अलावा यह आपराधिक कानून की मशीनरी को गति प्रदान करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिस पर अभियोजन का पूरा मामला आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर किसी मामले की जांच शुरू होना, जांच के दौरान साक्षय जुटाना और अंतिम राय का गठन वह क्रम है

जिसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में एक पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक जानकारी दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जांच अधिकारी को दी गई या अन्यथा प्राप्त की गई अन्य सामग्री और जानकारी संहिता की धारा 162 के तहत कवर किए गए बयान होंगे। एक या अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रभाव की जांच करने के लिए न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को तर्कसंगत बनाना होगा और फिर समानता का परीक्षण लागू करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना और एक ही घटना से संबंधित हैं। उन घटनाओं के संबंध में जो एक ही लेन-देन के दो या दो से अधिक भाग हैं या पूरी तरह से दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं यदि उत्तर पहली श्रेणी में आता है, तो दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द की जा सकती है।

हालाँकि, यदि इसके विपरीत साबित होता है, चाहे दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट का संस्करण अलग हो और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हों, तो दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की अनुमति है। बाबू बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने यही विचार व्यक्त किया है। [(2010) 12 एससीसी 254]। यह निर्णय एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना रिपोर्ट और अलग-अलग घटना या एक ही घटना की घटनाओं आदि से संबंधित दो प्रथम सूचना रिपोर्ट के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है।

24. ऐसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, एक उदाहरण दिया जा सकता है कि लोगों का एक ही समूह अलग-अलग अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न इलाकों में समान तरीके से चोरी कर रहा है। भले ही घटनाएँ समय के करीब की गई हों, अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट हो सकती हैं और एक भी यह बताने पर कि कई चोरियाँ हुई हैं, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से नहीं रोका जाएगा। इसी तरह, एक ही घटना के कारण दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में और अलग-अलग लोगों के बीच, दंगों को भड़काने वाली प्राथमिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण विभिन्न क्षेत्रों में बाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से वंचित नहीं करेगा। हालाँकि, इसके विपरीत, एक ही घटना और एक ही लोगों के खिलाफ अपराध के लिए दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है और यहां तक कि चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

[(2010) 14 एससीसी 444] के मामले में भी न्यायालय ने यह विचार किया कि एक ही अपराध/घटना के संबंध में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि जब भी जांच संस्था को कोई और सूचना प्राप्त होती है , यह हमेशा प्रथम सूचना रिपोर्ट को आगे बढ़ाने में होता है

[जोर दिया गया]

जसजीत सिंह भसीन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया-

"9. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मूल रूप से यह सवाल उठाया है कि क्या समान तथ्यों और परिस्थितियों में डेरा बस्सी के पुलिस थाना में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। वकील ने तर्क दिया कि धारा 154, 155 के प्रावधानों के तहत , 156, 157, 162, 169, 170 और 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की आवश्यकताओं को केवल संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में पहले या पहली सूचना से ही पूरा किया जा सकता है। कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती और एक ही घटना के एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली घटनाओं के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं। समर्थन में, विद्वान वकील ने टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य, मामले में रिपोर्ट किए गए शीर्ष न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 2637:2001(3)आरसीआर (आपराधिक) 436 (एससी) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है

"फोन कॉल या गुप्त टेलीग्राम द्वारा अस्पष्ट जानकारी के अलावा, किसी पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखी गई थाना गृह दैनिकी में सबसे पहले दर्ज की गई जानकारी धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट-प्रथम सूचना रिपोर्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता की संज्ञेय अपराध की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप में दी गई अन्य सभी जानकारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट हुई और पुलिस अधिकारी द्वारा थाना गृह दैनिकी में दर्ज की गई या ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध जो हो सकते हैं जांच के दौरान उनके संज्ञान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आने वाले बयान आएंगे। और फिर से थाना के रोज़नामचा में दर्ज ऐसी किसी भी जानकारी / बयान को उचित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है । क्योंकि

2006(2) आरसीआर (सीआरएल.) 813

यह वास्तव में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी और यह सीआर की योजना के अनुरूप नहीं हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना यह है कि किसी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को किसी संज्ञेय घटना के बारे में पता चलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 या 157 के अनुसार जांच शुरू करनी होती है। अपराध। जांच पूरी होने पर और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 या 170 के तहत राय बनानी होगी। जैसा भी मामला हो, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 171(2) के तहत अपनी रिपोर्ट संबंधित दंडाधिकारी को भेज देगा। हालाँकि, ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी यदि उसके पास अतिरिक्त जानकारी या सामग्री आती है, तो उसे नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे आगे की जांच करने का अधिकार है, आमतौर पर अदालत की अनुमति के साथ और जहां आगे की जांच के दौरान वह आगे के सबूत एकत्र करता है। , मौखिक या दस्तावेजी, वह इसे एक या अधिक अतिरिक्त रिपोर्टों के साथ अग्रेषित करने के लिए बाध्य है; यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (8) का आयात है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 155, 156, 157, 162, 169, 170 और 173 के प्रावधानों की योजना के तहत संज्ञेय अपराध के संबंध में केवल पूर्व या पहली सूचना ही धारा 154, सीआर की आवश्यकताओं को पूरा करती है। दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है। किसी संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराधों को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और थाना हाउस डायरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर, पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि साथ ही अन्य संबंधित अपराध भी एक ही लेन-देन या एक ही घटना के दौरान किए गए पाए जाएं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में दिए गए अनुसार एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करें।

*** *** ***

कारी गौधरी बनाम एमएसटी के मामले में। सीता देवी के मामले में भी शीर्ष अदालत ने उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मुझे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में ताकत मिलती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उप

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

-धारा (1) के तहत दी गई एक जानकारी, किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जानकारी के बाद, जांच शुरू हो जाती है, जो धारा 169 या 179 के तहत राय के गठन के साथ समाप्त होती है। जीपीसी और उसके बाद धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस रिपोर्ट को अग्रेषित करना। कभी-कभी पुलिस थाना के प्रभारी को एक से अधिक जानकारी दी जाती है। एक ही घटना में एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराध शामिल हों, ऐसी स्थिति में हर जानकारी को पुलिस थाना के रोज़नामचा में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञेय अपराध की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से दी गई अन्य सभी जानकारी, पहली सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट की गई जो जांच अधिकारी के ध्यान में आ सकती है, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत बयान माना जाएगा। एक सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है और पुलिस थाना की गृह दैनिकी में दोबारा दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की योजना के अनुरूप नहीं है। निःसंदेह, जांच अधिकारी के लिए संबंधित दंडाधिकारी को एक रिपोर्ट भेजना स्वीकार्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ पहले से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में जांच की जा रही है। भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी. पी.सी. जांच अधिकारी के पास अतिरिक्त जानकारी या सामग्री आती है, तो उसे दूसरी या नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे न्यायालय की अनुमति से आगे की जांच करने का अधिकार है। जांच के दौरान यदि वह मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अधिक एकत्र करता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उसे अग्रेषित करने के लिए बाध्य है। पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को न केवल रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, लेकिन साथ ही अन्य संबंधित अपराध भी उसी लेनदेन या घटना के दौरान किए गए पाए गए और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रदान की गई दूसरी या अधिक रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। वर्तमान मामले में, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी) 6) डेरा बस्सी में उसी घटना के संबंध में और समान तथ्यों पर झूठ दर्ज किया गया था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 3) पहले ही पुलिस थाना सेक्टर 34, चंडीगढ़ में दर्ज की जा चुकी थी।

*** *** ***

13. यद्यपि यह सत्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (8) के दृष्टिगत। पी.सी. पुलिस जांच कर सकती है, अतिरिक्त साक्षय प्राप्त कर सकती है और दंडाधिकारी को एक रिपोर्ट या रिपोर्ट भेज सकती है, हालांकि, जांच की व्यापक शक्ति एक ही घटना के संबंध में एक नागरिक को हर बार पुलिस द्वारा नई जांच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है। धारा 173 सीआर के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले या बाद में लगातार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के परिणामस्वरूप एक या अधिक संज्ञेय अपराध। पी.सी. यह स्पष्ट रूप से धारा 154, दण्ड प्रक्रिया संहिता के दायरे से परे होगा, और जांच की वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग होगा। दूसरी या लगातार प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर नए जांच का मामला, पर्तीकारक मुकदमा नहीं होने पर, समान या संबंधित संज्ञेय अपराधों के संबंध में दर्ज किया गया, धारा 482, सी पीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों की बात करें तो, पुलिस थाना, सेक्टर 34 चंडीगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी 3) में लगाए गए आरोप शब्दश: वही हैं जो डेरा बस्सी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी (6)) में लगाए गए हैं। आरोपों की विषय-वस्तु और वर्णन, जिन्हें दोहराव के लिए पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग समान हैं। यह तर्क कि संबंधित संपत्ति अलग है और इसलिए, अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, काफी भ्रामक है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मूल आरोप यह है कि उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 2 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 की सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी में जालसाजी की है और उक्त सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आगे के लेनदेन किए गए हैं। उन्हीं तथ्यों के संबंध में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अपनाई गई राह दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत परिस्थितियों और उसकी नये सिरे से जांच करने की अनुमति नहीं है |

(10) अंजू चौधरी के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलेगा कि 'समानता' का परीक्षण यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना है कि क्या दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना से संबंधित हैं और एक ही घटना के संबंध में हैं ऐसी घटनाएं जो एक ही लेन-देन के दो या दो से अधिक हिस्से हैं या पूरी तरह से दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं। वर्तमान मामले में 'समानता' के उक्त परीक्षण को लागू करने पर, यह देखा जाएगा कि पंचकुला में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी के अपराध से संबंधित है और चालान धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था । थाना मनीमाजरा की पुलिस ने स्कूटर को चंडीगढ़ में बरामद किया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट 379/411 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई | इसलिए, दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक घटना से संबंधित हैं |

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

चोरी की घटना/घटना या यह कहा जा सकता है कि दो घटनाएं हुईं जो एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं यानी पंचकुला में चोरी और इसके परिणामस्वरूप चंडीगढ़ में एक्टिवा की बरामदगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ये दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट अंजू चौधरी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित परीक्षण के अनुसार लगभग समान या 'समान' हैं।

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय यह दर्शाते हैं कि उसी अपराध/घटना/घटना के संबंध में दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम रखने योग्य नहीं है। उपर्युक्त सिद्धांत के अपवादों में से एक यह है कि जहां एक ही प्रकरण के संबंध में दो प्रतिद्वंद्वी संस्करण हैं, उस स्थिति में वे आम तौर पर दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप ले लेंगे और उन दोनों के तहत एक ही जांच संस्था द्वारा जांच की जा सकती है। इसलिए, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 दिनांक 18.12.2015 (अनुलग्नक पी-2) धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस थाना मनीमाजरा में दर्ज की गई। चंडीगढ़ और ताजा आरोप पत्र कानून में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, पुलिस थाना सेक्टर 19, पंचकुला में धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत पहले से ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 दर्ज है। चालान धारा 379/411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था। निचली अदालत द्वारा धारा 411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई थी और अंततः, आरोपी धारा 411/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए भी बरी हो गया। ये तथ्य दिखाएंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131 में अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट) में अपराधों के समान हैं और घटना/घटना एक ही है या एक ही लेनदेन का हिस्सा है

(12) इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि पुलिस थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़ में धारा 379/411 के तहत दर्ज दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 दिनांक 18.12.2015 का पंजीकरण कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

(13) इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक आव्यूह को ध्यान में रखते हुए, पुलिस थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़ में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 672 (अनुलग्नक पी-2) दिनांक 18.12.2015 धारा 379 और 411 के तहत) और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Ramphal Singh
Translator